

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकशिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/सेवानिवृत्ति/रावि/31820/16-17 दिनांक :08.03.2016 द्वारा क्रम संख्या 13 पर अंकित कार्मिक विजयलक्ष्मी ओझा व्याख्याता राजनीति विज्ञान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धुन्धाड़ा, जोधपुर का सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया गया था।

उक्त आदेश में कार्मिक विजयलक्ष्मी ओझा के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2014 को ज्ञापन जारी होने के कारण विभागीय जांच लंबित रखते हुए सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया गया था, में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक -शिविरा/माध्य/वि0 जॉच/11152/के-105/13/261-262 दिनांक :04.07.2020 द्वारा समाप्त (DROP) कर दिये जाने के कारण कार्मिक के सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 08.03.2016 में कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
 2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
 3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/सेवानिवृत्ति/2019-20 / 173

दिनांक : 13/01/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग.....
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य
6. संबंधित कार्मिक श्रीमती विजयलक्ष्मी ओझा व्याख्याता राजनीति विज्ञान।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर